न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 04/2021

अपीलांट

मंगला पुत्र सुजा जाति विश्नोई, उम्र 65 वर्ष, निवासी केरीया, तहसील चितलवाना, जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. बाबु पुत्र सुजा जाति विश्नोई निवासी केरीया, तहसील चितलवाना
2. सुजा पुत्र अरजन, जाति विश्नोई निवासी केरीया तहसील चितलवाना
3. रामू पुत्र अमरा
4. कोला पुत्र अमरा जातियान विश्नोई, निवासीगण केरीया, तहसील चितलवाना, जिला जालोर
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चितलवाना, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री जगदीश गोदारा, श्री पारसमल बराडा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 05 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 12-02-2021

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी चितलवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 31/2007 नये राजस्व वाद संख्या 65/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.09.2020 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 के तहत वादग्रस्त आराजी वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1095 रकबा 1.65 हैक्टेर, 1095/2120 में से 0.21 हैक्टेर, 1095/2120 में से 0.01 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा एवं खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजो का गोर किये

बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2016 को आदेशिका में स्पष्ट लिखा है कि वादी सुजा द्वारा भूमि अपने एक पुत्र बाबूलाल को बेचान की गई है जिस कारण बाबुलाल को पक्षकार बनाया, उस समय वादी संख्या 02 लाल स्याही से अंकित किया गया है जबकि न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किये बिना सुजा का नाम हटा दिया, जबकि सुजा का नाम हटाने बाबत कोई आदेश आदेशिका में अंकन नहीं है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट मंगलाराम व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बाबु के पिता सुजा की थी, जिसके कारण सुजा को उक्त भूमि अकेले बेचने का कोई अधिकार नहीं था। वादग्रस्त आराजी में सुजा की आराजी में 1/2 हिस्से का मंगलाराम खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के पिता सुजा के कोई बयान रेकर्ड पर नहीं लिये गये एवं वादग्रस्त आराजी के संबध मे मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.09.2020 के अन्तर्गत अपीलांट मंगलाराम को अनुपस्थित बताया गया है, जबकि अपीलांट मंगलाराम की ओर से अधिवक्ता जालाराम को उपस्थित बताकर उक्त निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये रेकर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना जैर अपील निर्णय पारित किया है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय डिक्री अपास्त फरमाई जाकर अपीलांट को सुजा की आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1095 रकबा 1.65 हैक्टेर, 1095/2120 में से 0.21 हैक्टेर, 1095/2120 में से 0.01 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा एवं खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 02 सुजा की खातेदारी आराजी थी एवं अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बाबु रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के विधिक वारिसान है। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 02 सुजा की खातेदारी आराजी होने से हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानो के तहत उक्त आराजी में सुजा के दोनो पुत्र अपीलांट मंगला एव बाबु को 1/2–1/2 हिस्सा बनता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट सुजा के बयान दर्ज किये बिना अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो को दरकिनार करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी चितलवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 31/2007 नये राजस्व वाद संख्या 65/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक

16.09.2020 को अपास्त किया जाता है। अपीलांट को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1095 रकबा 1.65 हैक्टेर, 1095/2120 में से 0.21 हैक्टेर, 1095/2120 में से 0.01 हैक्टेर कुल रकबा 1.87 हैक्टेर में से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उक्त निर्णय की पालना में अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद करे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

डिक्री पर्चा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 04/2021

अपीलांट

मंगला पुत्र सुजा जाति विश्नोई, उम्र 65 वर्ष, निवासी केरीया, तहसील चितलवाना, जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. बाबु पुत्र सुजा जाति विश्नोई निवासी केरीया, तहसील चितलवाना
2. सुजा पुत्र अरजन, जाति विश्नोई निवासी केरीया तहसील चितलवाना
3. रामू पुत्र अमरा
4. कोला पुत्र अमरा जातियान विश्नोई, निवासीगण केरीया, तहसील चितलवाना, जिला जालोर
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चितलवाना, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री जगदीश गोदारा, श्री पारसमल बराडा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 05 की ओर से

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी चितलवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 31/2007 नये राजस्व वाद संख्या 65/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.09.2020 को अपास्त किया जाता है। अपीलांट को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1095 रकबा 1.65 हैक्टेर, 1095/2120 में से 0.21 हैक्टेर, 1095/2120 में से 0.01 हैक्टेर कुल रकबा 1.87 हैक्टेर में से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उक्त निर्णय की पालना में अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 12/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली